संख्या–263 /नौ–9–2016–47ज/15

प्रेषक

11-16 राहुल भटनागर
मुख्य सचिव
उत्तरप्रदेश शासन।

सेवामें

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ।
5. समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश।

नगरविकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक : 16 नवम्बर, 2016

विषय : प्रदेश की नागर निकायों के सीमान्तर्गत मोबाइल टावर इत्यादि लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1485/नौ–9–2012–161ज/12 दिनांक 15 अक्टूबर 2012 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–286/नौ–9–2014–161 ज/12 दिनांक 11 मार्च 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरसंचार विभाग के आदेश संख्या 10–87/2007-CS-III,पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या–177/2008 दिनांक 10.01.2008 द्वारा मे0 इंडस टावर्स लि0 को भारत सरकार के शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कैटिगरी 1 (IP-I) हेतु पंजीकृत करते हुए मोबाइल टावर इत्यादि एवं अन्य सहवर्ती व्यवस्थाओं को स्थापित करने एवं उनका अनुरक्षण करने को अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार ए0टी0सी0 टेलीकॉम कारपोरेशन लि0, भारत सरकार द्वारा निर्गत आई0पी0–1 लाइसेंस होल्डर कम्पनी है, जो कि सम्पूर्ण भारत में समस्त मोबाइल दूर संचार सेवा प्रदाताओं को 2जी, 3जी एवं 4 जी सेवाओं को संचालित करने के लिये पैसिव इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है। उक्त कम्पनियों द्वारा नगरीय सीमान्तर्गत मोबाइल टावर लगाने हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित सेवायें/सुविधायें भी प्रदान की जायेगी, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(1) कम्पनी द्वारा स्थापित प्रत्येक मोबाइल टावर पर मे0 इंडस टावर्स लि0 द्वारा LED Light स्थापित की जायेगी, जिसका संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। खराब होने वाली LED Light/पार्टस स्थानीय निकाय द्वारा कम्पनी को वापस दिये जाने पर कम्पनी द्वारा उसे बदल दिया जायेगा।

(2) स्थानीय प्रशासन/निकाय द्वारा उपरोक्त मोबाइल टावर पर विधिपूर्वक निर्धारित डिजाइन के अनुसार अनुमति की अवधि तक के लिये शासकीय वॉकीटॉकी एंटीना या सी0सी0टी0वी0 कैमरे को सुरूचिपूर्ण रीति से स्थापित किये जा सकने की सुविधा होगी। टावरों पर ऐसे उपकरण स्थापित किये जाने पर कम्पनी सहमत है, जिससे नेटवर्क में किसी प्रकार का काई व्यवधान उत्पन्न न हो।

(3) कुछ चिन्हित टावरों/पोल को स्थानीय निकाय द्वारा अपनी होर्डिंग से मुक्त रखा जाएगा ताकि वहां अपनी होर्डिंग पर कम्पनी अपने कार्यक्रमों को प्रदर्शित कर सकें, जिस पर निकाय/स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायगा।

(4) उपरोक्त मोबाईल टावर पर स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति की अवधि तक 2x3 स्क्वायर फिट का होर्डिंग सुरूचिपूर्ण रूप से स्थापित किया जा सकेगा। निकाय में होर्डिंग की स्थापना एवं रख–रखाव का कार्य स्थानीय निकाय द्वारा कराया जाएगा।

(5) उपरोक्त मोबाइल टावर पर निजी विज्ञापनदाताओं द्वारा स्थापित होर्डिंग से जनित आय स्थानीय निकाय को प्राप्त होगी।

(6) स्थानीय निकाय द्वारा निजी विज्ञापनदाता (Third Party) से होर्डिंग के सम्बन्ध में होने वाली संविदा की शर्तो के सम्बन्ध में इंडस को सूचित किया जाएगा। Third Party को निकाय द्वारा बाधित किया जाएगा कि इंडस द्वारा इंगित शर्तों का Third Party द्वारा पालन किया जाएगा एवं होर्डिंग को सुरूचिपूर्ण रूप से रखा जाएगा तथा संविदा के समाप्त होने की तिथि पर होर्डिंग को सुरक्षित रूप से टावर से निकाल लिया जाएगा। इंडस द्वारा किसी भी ऐसी होर्डिंग को उतारा/जब्त किया जा सकेगा, जो उपरोक्त शर्तो के विपरीत स्थापित हों।

(7) कम्पनी द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय में टावर लगाने के उपरान्त उक्त निकाय को एक निःशुल्क डोंगल (Dongle) उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) यह डोंगल शासन/स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत स्थानीय निकाय के एक्जीक्यूटिव आफिसर या अन्य अधिकारी के द्वारा उपयोग में लाया जाएगा।

(9) कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये 3G/4G डोंगल हेतु एक वर्ष तक निःशुल्क 2GB Unlimited Data Plant (up to 2 MBPS) प्रदान किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात डोंगल हेतु किराए आदि का भुगतान, स्थानीय निकाय द्वारा होर्डिंग से प्राप्त होने वाली आय से किया जा सकेगा।

(10) स्थानीय निकाय द्वारा होर्डिंग से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग उपरोक्त के अलावा मेंo इंडस टावर लिo द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अनुरक्षण/उच्चीकरण हेतु भी किया जा सकेगा।

(11) कम्पनी द्वारा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों तथा निकाय की संपत्ति पर नजर रखने हेतु सम्बन्धित स्थानीय कार्यालय हेतु 4 सी0सी0 टी0वी0 युक्त wired डिजिटल रेकॉर्डर उपकरण को अधिष्ठापित कराया जाएगा।

(12) 4 सी0सी0टी0वी0 युक्त wired डिजिटल रेकॉर्डर उपकरण 5 वर्ष की अवधि हेतु निःशुल्क अनुरक्षण अधीन होगा। इस उपकरण के 5 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु इंडस द्वारा भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।

(13) जिस स्थानीय निकाय में कम्पनी द्वारा 5 से 10 मोबाइल टावर स्थापित की जाती है, उन निकायों में प्रत्येक 5 से 10 टावरों की स्थापना स्थानीय निकाय/सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल पर एक सार्वजनिक शौचालय, जिसमें 2 पुरूष, 1 महिला टायलेट के अतिरिक्त 3 पुरूष Urinal भी होंगे, की स्थापना की जाएगा। इन सार्वजनिक शौचालयों का अनुरक्षण स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा।

(14) मै0ए0टी0सी0 द्वारा प्रत्येक निकाय,जिसकी सीमा में 5 या उससे अधिक टावर लगाये जाते हैं, उन निकायों में कम्पनी द्वारा एक वाटर ए0टी0एम0 की यूनिट लगाई जायगी, जिसके लिये स्थान तथा पानी की सप्लाई व्यवस्था,सम्बन्धित निकाय को उपलब्ध कराना होगा। वाटर ए0टी0एम0 का संरक्षण तथा संचालन सम्बन्धित निकाय द्वारा ही किया जायगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 4जी ब्राण्ड बैण्ड वायरलाइन/वायरलेस एक्सेस सर्विस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नगरनिकायों की भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाइबर/डक डालने अथवा भूमि से ऊपर ओवरहेड केबलिंग के लिए स्थल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में धारा 128/129 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 124 में सम्पत्ति अंतरण विषयक प्राविधान एवं इन्फोटेल ब्राण्डबैण्ड सर्विसेज लि0 द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओ के दृष्टिगत एच0डी0डी0 विधि से आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, ग्राउण्डबेस्ड मास्ट स्थापित करने तथा ओवरहेड वायर के लिये पोल लगाने के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.10.2012 एवं 11.03.2014 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

4. सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसी निजी संस्थाओं को जो आप्टिकल फाइबर बिछाना चाहती है अधिकतम सुविधायें प्रदान किये जाने तथा ऐसी निजी संस्थाओं को आप्टिकल फाइबर बिछाने व उनका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने एवं उसका अनुरक्षण करने की अनुमति) अधिनियम– 2001 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी लाइसेन्स धारी को किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ–साथ, आर–पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्तिप्रदान की गई है। अधिनियम की धारा–5 (2) से राज्य सरकार को ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह उचित समझे विहित निबन्धनों और शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर सकने की व्यवस्था है।

5 उपर्युक्त वर्णित स्थिति में कम्पनी द्वारा प्रदत्त की जा रही सुविधॉओं के दृष्टिगत मै0इण्डस टावर लि0 एवं ए0टी0सी0 टेलीकाम टावर कारपोरेशन लिमिटेड

को प्रदेश की नागर निकायों की सीमान्तर्गत मोबाइल टावर इत्यादि लगाने हेतु इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1485/नौ–9–2012–161 ज/12 दिनांक 15 अक्टूबर, 201 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 286/नौ–9–2014–161 ज/12 दिनांक 11 मार्च 2014 के क्रम में अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त शर्ते किसी अन्य सेवा प्रोवाइडर के लिये मान्य होंगी, बशर्ते ऐसे लाइसेन्सधारक को विहित निर्बन्धनों/शर्तो के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी हो। उपर्युक्तानुसार उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. औद्योगिक विकास आयुक्त,उ0प्र0, लखनऊ
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तरप्रदेश। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
4. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
5. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री अतुल कुमार सलाहकार, मे0 इंडस टावर लिमिटेड
7. श्री अजय दुग्गल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उ0प्र0), मे0 इंडस टावर लिमिटेड
8. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तरप्रदेश।
9. गार्डफाइल

आज्ञा से

15/11/16

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

03/11/16